Details of the Width of the Road

741. **SH. BHARAT BHUSHAN BATRA, M.L.A**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) the width of the road and green belt from Mela Ground Chowk, Rohtak-Gohana road up to Makroli toll plaza in accordance with the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Registration of Unregulated Development Act, 1962; and

b) whether the site plan of the Shanni Mandir situated on the right hand side on the abovesaid road has been approved by the Government, if not, the action taken by the Government to remove the said structure/construction?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

---

a) As per Revised Draft Development Plan 2031AD of Rohtak, the width of Rohtak-Gohana road from Mela Ground Chowk to Makroli toll plaza is 60 meter alongwith 60 meter wide green belt on both sides.

b) Shanni Mandir is situated in the extended limit of Municipal Corporation Rohtak. The building plan of Shanni Mandir on Gohana road was not approved by the Municipal Corporation Rohtak and notice was served vide memo dated 30.11.2015 under section 350A (2) of the Haryana Municipal Corporation Act 1994. Subsequently, demolition order was issued under Section 350A(b) of the Ibid Act because of non compliance of show cause notice. Thereafter, FIR dated 17.10.2018 was lodged under Section 350C of the Ibid Act. At present, the matter is pending before Hon'ble Punjab and Haryana High Court in court case no. COCP-1614-2018. Further action will be taken in accordance with the verdict of Hon'ble Punjab & Haryana High Court.

सड़क की चौड़ाई का ब्यौरा

741. **श्री भारत भूशण बतरा, एम.एल.ए.:** क्या उप–मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन विधेयक, 1962 के अनुसार मेला ग्राउंड चौक से रोहतक–गोहाना रोड़ तक सड़क तथा ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई क्या हैं; तथा

(ख) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त सड़क के दाईं ओर पर स्थित भानि मन्दिर का स्थल नक्‌ ाा स्वीकृत किया गया है; यदि नहीं, तो उक्त संरचना/निर्माण को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

दुष्यन्त चौटाला, उप–मुख्यमंत्री, हरियाणा।

(क) रोहतक की संशोधित मसौदा विकास योजना 2031ए.डी. के अनुसार मेला ग्राउंड चौक से मकरोली टोल प्लाजा तक रोहतक–गोहाना सड़क की चौड़ाई 60 मीटर के साथ–साथ दोनों तरफ 60 मीटर चौड़ी हरित पट्टी है।

(ख) शनि मंदिर नगर निगम रोहतक की विस्तारित सीमा में स्थित है। गोहाना रोड पर शनि मंदिर के निर्माण की योजना को नगर निगम रोहतक द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 350ए(2) के तहत ज्ञापन दिनांक 30.11.2015 द्वारा नोटिस दिया गया था। इसके बाद कारण बताओ नोटिस का अनुपालन न करने के कारण धारा 350ए(बी) इबिड अधिनियम के तहत विध्वंस आदेश जारी किया गया था। तत्पश्चात, उक्त अधिनियम की धारा 350सी इबिड अधिनियम के तहत दिनांक 17.10.2018 को एफ.आई.आर. दर्ज की गई। वर्तमान में मामला कोर्ट केस नं. सीओसीपी–1614–2018 से माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है। आगे की कार्रवाई माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार की जाएगी।